Email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन / फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक –1911 / 12–1 , मुनिकीरेती, दिनांक– 22 / 06 / 2020

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिंलगना में घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.245 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक–1460 / FP/UK/ROAD/14661/2015, दिनांक–16.12.2019।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का आरम्भिक बिन्दु घनसाली–घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0–02 व अन्तिम बिन्दु घनसाली–कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0–03 पर अवस्थित हैं। पूर्व में प्रस्तावित मोटर मार्ग की KML file में त्रुटि होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह मार्ग मिलान से पूर्व ही Intersect कर रहा है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, यह मार्ग आरम्भिक व अन्तिम बिन्दु से पूर्व किसी भी स्थान पर उक्त दोनो मोटर मार्गों में से किसी को भी Intersect नहीं कर रहा है। स्थिति स्पष्ट करने हेतु KML file संशोधित कर ऑनलाईन पोर्टल में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।

उपरोक्त आपत्ति के निराकरण / वास्तविकता के मध्यनजर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा पाया कि "प्रस्तावित मोटर मार्ग का समरेखण किसी भी स्थान पर (आरम्भिक बिन्दु घनसाली–घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0–02 व अन्तिम बिन्दु घनसाली–कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0–03 तक) पूर्व निर्मित मोटर मार्गों को Intersect नहीं कर रहा है। जिस स्थल स्थल पर KML file में प्रस्तावित मोटर मार्ग का घनसाली–कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग को Intersect होना प्रतीत हो रहा है, उस स्थान से प्रस्तावित मोटर मार्ग की दूरी पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से लगभग 14 से 15 मी0 निचली तरफ है।"

साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग एवं पुल के निर्माण का उद्देश्य किसी बसावट को जोड़ने हेतु नहीं है, अपितु घनसाली में यातायात एवं अन्य समय में वाहनों की अत्यधिक आवागमन से उत्पन्न दबाव के कारण Traffic Jam की स्थिति से बचाव के लिए बाईपास मोटर मार्ग के रूप में हैं। घनसाली मुख्य चौराहे में पूर्व निर्मित मोटर मार्ग की चौड़ाई कम है तथा इस स्थल पर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना सम्भव नहीं है। मार्ग संकरा होने के कारण Traffoc Jam से घनसाली नगर में अव्यवस्था बनी रहती है।

अतः प्रकरण पर इंगित आपत्ति का निराकरण / आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय

Joshi

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

संख्या :– / , तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को उनके पत्रांक–2643 / 12–1, दिनांक–12.06.2020 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक